

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोग लेखे व्यय के लेखे हैं, जिसमें सरकार के प्रत्येक वर्ष के दत्तमत एवं भारत व्ययों की, विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारत विनियोगों की राशियों के साथ तुलना की जाती है। यह लेखे मूल बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को पृथक रूप से संसूचित करते हैं और विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) को आसान बनाते हैं तथा इसलिए यह वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

2.1.2 विनियोगों की लेखपरीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार भारत किया गया है जैसा कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय, विधि, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन की प्रक्रिया

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 52 के अनुसार, राज्य के बजट प्राक्कलन को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया जाना है। बजट नियमावली के नियम 79 के अनुसार, विभिन्न विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अधीन प्राक्कलनों की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और सरकार के बजट के प्रथम संस्करण उपस्थापन हेतु संकलित किया जाना है। राज्य के बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, समस्त प्रत्याशित बचतों को सरकार को अविलम्ब अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी इकाई के आधिक्य व्यय को समाहित करने हेतु आवश्यक न हों। भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु किसी बचत को नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के नियम 117 के अनुसार, व्यय की किसी खास नयी इकाई हेतु या दत्तमत अनुदानों के संभावित आधिक्य को आच्छादित करने हेतु वित्त विभाग के परामर्श के बाद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये जाने चाहिए।

वर्ष 2015-16 के दौरान अनेक अनुदानों में अत्यधिक बचत देखा गया जो बजट प्रबंधन में त्रुटियों को दर्शाता है जिसे आगे की कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2015-16 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2015-16 के दौरान मूल/अनुपूरक अनुदानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल	*वास्तविक व्यय	बचत(-)/आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	केवल 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2016 तक अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता (का.7/का.6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I राजस्व	39823.91	7980.47	47804.38	33678.42	(-)14125.96	12876.11	11204.18	91.15
	II पूँजीगत	8675.58	2155.81	10831.39	8158.51	(-)2672.88	2998.80	2488.38	112.19
	III ऋण व अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समायोजन	1215.60	6813.00	8028.60	7480.00	(-)548.60	0.00	0.00	0.00
	कुल दत्तमत	49715.09	16949.28	66664.37	49316.93	(-)17347.44	15874.91	13692.56	91.51
भारित	IV राजस्व	3519.33	16.41	3535.74	3386.41	(-)149.33	175.13	175.13	117.28
	V पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	2258.53	15.50	2274.03	2245.94	(-)28.09	87.26	87.26	310.64
	कुल भारित	5777.86	31.91	5809.77	5632.35	(-)177.42	262.39	262.39	147.89
सकल योग	55492.95	16981.19	72474.14	54949.28	(-)17524.86	16137.30	13954.95	92.08	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2015-16

*व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 512.01 करोड़) वापसी के समायोजन के बिना सकल आँकड़े हैं।

नोट- वर्ष 2015-16 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 1,079.00 करोड़ का व्यय अधिवर्णित था जिनके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 12 जुलाई 2016 तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 17,524.86 करोड़ का बचत हुआ जिसमें राजस्व संभाग के अधीन 55 दत्तमत अनुदानों एवं पाँच विनियोगों के ₹ 14,275.29 करोड़ तथा पूँजीगत संभाग के अधीन 35 अनुदानों एवं एक विनियोग के ₹ 3,249.57 करोड़ है। कुल बचत ₹ 17,524.86 करोड़ (कुल विनियोग का 24.18 प्रतिशत) में से, ₹ 16,137.30 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई जिसमें से ₹ 13,954.95 करोड़ (86.48 प्रतिशत) की राशि 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गई।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा राज्य सरकार को शीर्ष-वार व्यय की स्थिति मासिक सिविल लेखा विवरणी एवं मासिक विनियोग लेखे के माध्यम से प्रति माह उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, सेवा प्रदान करने तथा अनुदानों में अत्यधिक

बचत एवं आधिक्य व्यय से बचने हेतु सरकारी विभागों द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2015-16 में वर्णित कुल 1,498 उप-शीर्षों में से 1,002 उप-शीर्षों में बचत का कारण एवं 40 उप-शीर्षों में आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.4 वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन

2.4.1 आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

कुल बचत ₹ 17,524.86 करोड़ के सापेक्ष, 19 अनुदानों से संबंधित 23 मामलों में ₹ 14,600.87 करोड़ (83 प्रतिशत) का बचत हुआ जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में, बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा अधिक रहा।

तालिका 2.2 : ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत					
1	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	6480.13	4471.64	2008.48	30.99
2	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2329.32	822.96	1506.36	64.67
3	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	3757.32	2476.21	1281.11	34.10
4	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2975.50	1868.37	1107.13	37.21
5	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	1492.13	403.84	1088.29	72.94
6	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2765.90	1818.63	947.27	34.25
7	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2444.57	1556.13	888.44	36.34
8	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1344.75	594.28	750.47	55.81
9	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	1146.58	455.44	691.14	60.28
10	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1352.58	799.01	553.57	40.93
11	18-खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1284.43	778.80	505.63	39.37
12	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1435.84	1052.63	383.22	26.69
13	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1059.99	776.29	283.70	26.76

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत					
14	23-उद्योग विभाग	433.83	301.36	132.47	30.54
15	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	436.94	324.53	112.41	25.73
16	49-जल संसाधन विभाग	362.76	257.65	105.11	28.98
पूँजी-दत्तमत					
17	49-जल संसाधन विभाग	1653.99	1109.37	544.62	32.93
18	55-ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2063.40	1524.42	538.98	26.12
19	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	567.96	47.57	520.39	91.62
20	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	537.95	339.87	198.08	36.82
21	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	254.00	88.80	165.20	65.04
22	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	374.59	210.81	163.78	43.72
23	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	318.09	193.07	125.02	39.30
कुल		36872.55	22271.37	14600.87	39.60

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

आगे, लेखापरीक्षा से पता चला कि 44 मामलों में (33 अनुदानों/विनियोगों), बचत प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ एवं अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा अधिक था जैसा कि कुल बचत ₹ 15,281.30 करोड़ के साथ परिशिष्ट 2.1 में वर्णित है। इससे आगे, 28 अनुदानों/विनियोगों के अधीन 174 उप-शीर्षों/योजनाओं में कुल ₹ 12,732.17 करोड़ (कुल बचत का 73 प्रतिशत) का बचत, प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक, हुआ। विनियोग लेखे 2015-16 में प्रदर्शित बचत के कारण सहित उप-शीर्ष/योजना-वार बचत के ब्यौरे परिशिष्ट 2.2 में दिये गये हैं। अत्यधिक बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

2.4.2 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग द्वारा जब भी अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग में बचत प्रत्याशित हो, इसका अभ्यर्पण वित्त विभाग को कर देना आवश्यक है।

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 17,524.86 करोड़ के कुल बचत में से, कुल ₹ 1,536.90 करोड़ की राशि (25 अनुदानों/ विनियोजनों के अन्तर्गत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ और अधिक) अभ्यर्पित की गई जिसके ब्यौरे परिशिष्ट 2.3 में दिये गये हैं। आगे, यह देखा

गया कि 14 मामलों में, वर्ष के दौरान बचत के विरुद्ध ₹ 152.83 करोड़ की आधिक्य राशि अभ्यर्पित की गई।

वर्ष के दौरान ₹ 16,137.30 करोड़ की कुल अभ्यर्पित राशि में से, ₹ 13,954.95 करोड़ (86.48 प्रतिशत) की राशि केवल 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गई जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों में इन निधियों के उपयोग का कोई अवसर नहीं रहा। 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित ₹ 5,632.48 करोड़ से संबंधित 124 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) की सूची परिशिष्ट 2.4 में दिये गए हैं। यह कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.4.3 सतत् बचत

12 मामलों में (11 विभागों), विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में कुल अनुदान का 10 प्रतिशत या उससे अधिक की सतत् बचत थी (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3 : वर्ष 2011-16 के दौरान सतत् बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व -दत्तमत						
1	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	193.07(23)	232.43(25)	308.12(30)	349.95(28)	1088.29(73)
2	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	277.93(25)	326.13(53)	171.13(15)	967.84(42)	947.27(34)
3	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	228.82(35)	264.25(37)	566.53(58)	552.00(58)	750.47(56)
4	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	291.78(58)	594.38(88)	533.61(83)	99.14(27)	691.14(60)
5	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	168.00(15)	307.90(28)	570.55(50)	439.49(34)	505.63(39)
6	23-उद्योग विभाग	157.41(45)	82.94(29)	120.80(41)	148.57(40)	132.47(31)
7	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	79.15(24)	77.17 (23)	125.67(32)	99.80(26)	112.41(26)
8	49-जल संसाधन विभाग	83.77(27)	92.55(29)	85.14(26)	87.83(25)	105.11(29)
9	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	31.52(23)	35.50(22)	35.53(22)	41.73(25)	37.66(20)
10	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	40.29(42)	37.03(40)	18.45(25)	21.31(15)	24.90(24)
11	17-वाणिज्य कर विभाग	11.24(18)	27.17(38)	8.18(13)	23.36(32)	18.45(27)
पूँजीगत -दत्तमत						
12	49-जल संसाधन विभाग	714.70(78)	1232.85(74)	1130.96(68)	1196.28(68)	544.62(33)

कोष्ठक के आँकड़े कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अत्यधिक बचत वर्षों से जारी रही जो अनुदानों के अन्तर्गत अनुचित आकलन को इंगित करती है। आगे, आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं से संबद्ध चार विभागों के कुछ मुख्य स्कीमों में बचत के ब्यौरे की परिचर्चा नीचे की गई है:

अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के दौरान 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम' एवं 'इंदिरा आवास योजना स्कीम' में महत्वपूर्ण बचत देखा गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सामान्य के लिये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	81.95	49.87 (61)	465.59	394.25 (85)	400.00	227.80 (57)
2	सामान्य के लिये इंदिरा आवास योजना स्कीम	165.00	55.53 (34)	720.00	432.24 (60)	757.00	110.81 (15)

स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 56 - ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के दौरान 'पिछड़ा वर्ग अनुदान कोष' 'बामपंथी आतंकवाद प्रभावित जिला', एवं 'राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान' में महत्वपूर्ण बचत देखा गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	बामपंथी आतंकवाद प्रभावित जिला	510.00	340.00 (67)	524.19	170.00 (32)	510.00	510.00 (100)
2	पिछड़ा वर्ग अनुदान कोष	425.40	352.83 (83)	450.00	168.25 (37)	469.00	469.00 (100)
3	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	5.49	0.00 (0)	63.40	63.40 (100)	132.34	110.73 (84)

स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के दौरान 'राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय', 'सर्व शिक्षा अभियान के लिये अनुदान', 'भंडार-सह-रसोई शेड का निर्माण' एवं 'मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न के मूल्य की राशि' में महत्वपूर्ण बचत देखा गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सर्व शिक्षा अभियान के लिये अनुदान	515.00	272.95 (53)	1708.57	384.32 (22)	1997.02	961.21 (48)
2	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	2413.21	732.92 (30)	2856.17	1126.88 (39)	2310.64	391.70 (17)
3	भंडार-सह-रसोई शेड का निर्माण	48.00	48.00 (100)	48.00	36.00 (75)	43.80	43.80 (100)
4	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न के मूल्य की राशि	74.70	44.85 (60)	44.00	25.38 (58)	40.70	12.78 (31)

स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत अधिकांश मामलों में बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के दौरान 'समेकित बाल विकास स्कीम', 'किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी स्कीम', 'समेकित बाल सुरक्षा स्कीम' तथा 'महिला एवं किशोरी बालिकाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम' में महत्वपूर्ण बचत देखा गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	समेकित बाल विकास स्कीम	450.00	153.50(34)	495.00	233.81(47)	589.36	299.97(51)
2	किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी स्कीम	57.54	32.40(56)	57.93	55.38(96)	66.04	45.32(69)
3	समेकित बाल सुरक्षा स्कीम	24.00	24.00(100)	24.00	21.62(90)	27.60	21.24(77)
4	महिला एवं किशोरी बालिकाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	3.00	3.00(100)	2.00	1.00(50)	10.00	10.00(100)

स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विस्तृत विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत बचत के कारण विभाग द्वारा नहीं बताये गये।

2.4.4 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

45 मामलों में, कुल प्राधिकार ₹ 16,981.19 करोड़ में से, वर्ष के दौरान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त कुल ₹ 4,660.31 करोड़ (27 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल आवंटन खत्म नहीं हुए और इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अत्यधिक बचत हुई।

2.4.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 4 के अधीन राज्य के आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के वैसे व्यय, जिसे विधान मंडल द्वारा स्वीकृति दिये जाने तक टाला जाना वांछित नहीं है, के लिये इस निधि से अग्रिम दिया जाना है। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में इस निधि की राशि बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ की गई।

संगत अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2015-16 के दौरान 49 अवसरों पर ₹ 164.52 करोड़ की राशि आकस्मिकता निधि से आहरित की गई जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के। ये व्यय राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक स्थगित कर दिए जाने चाहिए थे। कुछ मामलों के ब्यौरे नीचे तालिका 2.4 में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ लाख में)
1	2852-80-796-65	वाणिज्य कर के भुगतान के विरुद्ध पूँजीगत निवेश को प्रोत्साहन हेतु सहायता अनुदान	4141.51
2	2217-01-190-01	पूँजीगत परिसंपातियाँ	3600.00
3	2055-00-109-90	मोटर वाहनों के लिये मरम्मत और ईंधन	2023.34
4	2055-00-001-02	विधि व्यवस्था पर अन्य व्यय	1372.86
5	2070-00-114-01	प्रशासनिक व्यय, किराया एवं कर	1000.00
6	2070-00-107-06	वाणिज्यिक सेवायें	1000.00
7	2055-00-109-97	वेतन एवं भत्ता तथा पुरस्कार	600.00
8	2014-00-114-04	कार्यालय व्यय तथा मशीन एवं साज-सामान	500.00
9	2013-00-101-01	नये मोटर वाहन की खरीद	315.00
10	5465-02-190-01	भवन निर्माण कोरपोरेशनों का पूँजीगत हिस्सा	200.00

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ लाख में)
11	2055-00-109-70	मोटर वाहनों के लिये मरम्मत और ईंधन	156.69
12	3054-03-337-02	कार्य-भारित/मस्टर रोल पर भुगतान	130.00
13	2230-01-102-02	प्रतिपूर्ति भत्ता	100.00
14	2011-02-101-10	विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के निजी कर्मचारियों का व्यय	60.00
15	2220-60-001-02	वेतन एवं भत्ता तथा वाणिज्यिक सेवायें	59.00
16	2251-00-090-07	नये मोटर वाहन की खरीद	15.90
कुल			15274.30

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

तथापि, वर्ष 2015-16 के दौरान इस निधि से आहरित कुल राशि की प्रतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान कर दी गई।

2.4.6 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2014-15 तक प्रावधान से अधिक किये गये व्यय ₹ 2,739.12 करोड़ की राशि को संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार विनियमित किया जाना अभी भी (सितम्बर 2016) शेष है जिसे **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है। विनियमित की जाने वाली लंबित वर्ष-वार आधिक्य व्यय की राशि **तालिका 2.5** में सारांशकृत है। वर्षों तक अनुदानों/विनियोगों के आधिक्य का विनियमित नहीं होना विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

तालिका 2.5 : विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	25, 32		0.04
2002-03	32		0.08
2003-04	46		0.29
2004-05	40		@
2006-07	38		\$
2010-11	32		0.10
2011-12	15, 25	14	420.16
2012-13	7, 15, 42	14	1263.18
2013-14	15	13, 14	694.05
2014-15	42	13	361.21
कुल			2739.12

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

@ आधिक्य राशि ₹ 1,072 मात्र

\$ आधिक्य राशि ₹ 81,665 मात्र

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, से दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, में निधि का अंतरण पुनर्विनियोजन है। वर्ष 2015-16 के दौरान छः उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है, अपर्याप्त या अत्यधिक साबित हुआ। चार योजनाओं/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.02 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गयी जिससे ₹ 11.86 करोड़ की बचत हुई। आगे, यह देखा गया कि दो योजनाओं/उप-शीर्षों से अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को ₹ 0.68 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित की गई जबकि वर्ष के अन्त तक इस योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 0.47 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

2.4.8 निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों के गैर-कार्यान्वयन के कारण 263 उप-शीर्षों में ₹ 3,066.98 करोड़ का वृहद पैमाने पर निधियों (वैसे मामले जहाँ ₹ 50.00 लाख से अधिक एवं शत प्रतिशत आवंटन का अभ्यर्पण हुआ) का अभ्यर्पण किया गया। चयनित मामलों के ब्यौरे **परिशिष्ट 2.8** में दिये गये हैं।

स्कीमों को प्रदत्त निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण उन योजनाओं के अपूर्ण तथा लक्षित लाभों की नाकामयाबी के संकेत हैं।

2.5 व्यय की तीव्रता

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की जल्दबाजी से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है। इसके विपरीत, **परिशिष्ट 2.9** में सूचीबद्ध 24 लेखा-शीर्षों में वर्ष 2015-16 के अंतिम तिमाही में किया गया व्यय (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक) वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था।

2.6 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

यद्यपि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बही से नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) द्वारा विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन को नियमित रूप से हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किये गये, तथापि, वर्ष 2015-16 के दौरान विसंगतियाँ सतत रूप से जारी रही। वर्ष 2015-16 के दौरान यह देखा गया कि कुल प्राप्तियाँ ₹ 53,914.06 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 17,290.37 करोड़ (32.07 प्रतिशत) की राशि का समाशोधन नहीं किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल व्यय ₹ 54,437.27 करोड़ में से ₹ 27,913.64 करोड़ (51.28 प्रतिशत) के व्यय का समाशोधन प्रधान महालेखाकार

(लेखा एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ नहीं किया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के कुल ₹ 24,378.11 करोड़ का असमाशोधित व्यय **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बही से विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन के कारण, प्राप्तियों एवं व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की संभावनाओं से इन्कार नहीं जा सकता है।

2.7 अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग में बजटीय प्रक्रिया का अनुपालन लेखापरीक्षा

2.7.1 परिचय

नगर विकास एवं आवास विभाग सम्पूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों को नगरनिगम/नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बुनियादी सेवा प्रदान करती है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात विगत समय में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के उत्तरदायित्व कई गुना बढ़ गए हैं। बारहवीं अनुसूची नगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत दूसरे क्षेत्रों के अलावे निम्न क्षेत्रों यथा शहरी एवं नगर योजना, भूमि उपयोग के विनियमन, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु योजना, समाज के कमजोर वर्गों के साथ-साथ मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं विकलांगों के हितों की सुरक्षा, गंदी बस्ती सुधार एवं शहरी गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आनन्दमय जीवन को बढ़ावा देना शामिल करता है।

अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग के वर्ष 2015-16 के लिये बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2015-16 में विभाग ने ₹ 2,464.50 करोड़ (योजना- ₹ 2,038.40 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 426.10 करोड़) के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1,575.29 करोड़ (योजना- ₹ 1,176.45 करोड़ तथा गैर-योजना ₹ 398.84 करोड़) (63.92 प्रतिशत) व्यय किया जबकि ₹ 889.21 करोड़ (36.08 प्रतिशत) का कुल बचत हुआ। इसके अलावा, ₹ 889.21 करोड़ के कुल बचत में से 2015-16 के दौरान ₹ 876.85 करोड़ अभ्यर्पित किया गया तथा शेष ₹ 12.36 करोड़ व्यपगत होने के लिये छोड़ दिया गया।

2.7.2 विभाग की विगत चार वर्षों की बजटीय स्थिति

सरकार के विनियोग लेखे दर्शाते हैं कि विगत चार वर्षों के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित अनुदान संख्या 48 के बजट में सतत बचत था जैसा कि **तालिका 2.6** में विस्तृत है।

तालिका 2.6 : विगत चार वर्षों की बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक खर्च	बचत	बचत की प्रतिशतता
2012-13	राजस्व	575.15	6.75	581.90	404.81	177.09	52.53
	पूँजीगत	689.92	-	689.92	198.93	490.99	
	कुल	1265.07	6.75	1271.82	603.74	668.08	
2013-14	राजस्व	1287.35	107.66	1395.01	493.84	901.17	64.20
	पूँजीगत	22.22	2.91	25.13	14.58	10.55	
	कुल	1309.57	110.57	1420.14	508.42	911.72	
2014-15	राजस्व	1837.69	353.67	2191.36	1103.04	1088.32	49.51
	पूँजीगत	20.93	-	20.93	13.99	6.94	
	कुल	1858.62	353.67	2212.29	1117.03	1095.26	
2015-16	राजस्व	1655.64	788.93	2444.57	1556.13	888.44	36.08
	पूँजीगत	19.93	-	19.93	19.16	0.77	
	कुल	1675.57	788.93	2464.50	1575.29	889.21	

स्रोत : विनियोग लेखे 2012-16

उपर्युक्त तालिका से यह प्रदर्शित था कि विभाग ने बजट नियमावली के प्रावधानों की अवहेलना कर दैनिक कार्य के रूप में बजट तैयार किया। इस तरह, यह बजट नियमावली में परिकल्पित बजटीय नियंत्रण को हतोत्साहित तथा उपेक्षा करने की प्रवृत्ति थी।

2.7.3 संगठनात्मक ढाँचा

प्रधान सचिव/सचिव विभाग के प्रमुख होते हैं। उन्हें दो संयुक्त सचिवों, तीन उप सचिवों, एक नगरपालिका प्रशासन के निदेशक तथा सात अवर सचिवों द्वारा सहायता प्रदान किए जाते हैं। तकनीकी प्रक्षेत्र प्रधान सचिव को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

झारखण्ड राज्य में उसके संबंधित क्षेत्रों में शहरी विकास कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी 39 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिसमें तीन नगरनिगम, 14 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत एवं दो अधिसूचित क्षेत्र समिति शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर, योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.7.4 बजट प्राक्कलनों को विलम्ब से जमा किया जाना

झारखंड द्वारा यथा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली का नियम 62 बजट प्राक्कलन तैयार करने के लिये बजट कैलेंडर का प्रावधान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के उपरांत सामान्य बजट को जमा करने तथा बजटीय लेन-देनों के व्यापक परिव्यय (सी.ओ.बी.टी.) को तैयार करने की निर्धारित तिथि को संशोधित कर बजट नियमावली में प्रावधानित तिथि एक अक्टूबर के स्थान पर दो दिसम्बर 2014 पुनर्निर्धारित (अक्टूबर 2014) किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने बजट प्राक्कलनों को दो दिसम्बर 2014 की लक्षित तिथि के स्थान पर 20 फरवरी 2015 को 79 दिनों के विलम्ब से योजना एवं विकास विभाग को प्रस्तुत किया।

2.7.5 अवास्तविक बजट अनुमान

बजट नियमावली के नियम 65 तथा 133 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट की यह देखने हेतु जाँच करनी चाहिए कि वे सही हैं तथा सभी विवरण एवं स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं, अनुपूरक माँग तथा पुनर्विनियोग वास्तविक खर्च पर आधारित हैं ताकि वृहद आधिक्य या बचत की संभावना नगण्य हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियंत्रण अधिकारी ने संवितरण अधिकारियों से बजट प्राक्कलनों की माँग नहीं की। बजट का प्रस्ताव विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों की जरूरतों को प्राप्त किए बिना ही तैयार किया गया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अवास्तविक बजट प्राक्कलन तैयार किया गया जिससे वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदान संख्या 48 के अंतर्गत ₹ 2,464.50 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 889.21 करोड़ (36.08 प्रतिशत) का बचत हुआ। इस प्रकार, यह बजट नियमावली में परिकल्पित बजटीय नियंत्रण को हतोत्साहित तथा उपेक्षा करने की प्रवृत्ति थी।

2.7.6 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग का मूल तथा अनुपूरक प्रावधान क्रमशः ₹ 1,675.57 करोड़ (योजना- ₹ 1,606.00 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 69.57 करोड़) तथा ₹ 788.93 करोड़ (योजना- ₹ 432.40 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 356.53 करोड़) था। वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग केवल ₹ 1,575.29 करोड़ (योजना- ₹ 1,176.45 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 398.84 करोड़) का ही उपयोग कर सका, जो कि मूल प्रावधान ₹ 1,675.57 करोड़ से भी कम था। तथापि, विभाग ने ₹ 788.93 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान की माँग की। यदि विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं पर आधारित व्यय का अनुमान लगाता तो इसे टाला जा सकता था।

2.7.7 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्रत्यर्पण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 2,464.50 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 876.85 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 387.99 करोड़ (योजना- ₹ 351.68 करोड़ तथा गैर-योजना-₹ 36.31 करोड़) (परिशिष्ट 2.11) की राशि विभाग द्वारा 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया जिससे सरकार द्वारा अन्य योजनाओं पर इस निधि के उपयोग की गुंजाइश समाप्त हो गई। आगे, 10 नमूना-जाँचित शहरी स्थानीय निकायों में से दो शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आवंटन प्राप्त होने के कारण ₹ 19.10 लाख (जुगसलाई ₹ 2.00 लाख और जमशेदपुर ₹ 17.10 लाख) की राशि 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गई।

2.7.8 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में व्यय का वेग आम तौर पर वित्तीय नियमितता का उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। इसलिए विशेष रूप से समापन महीने में व्यय के वेग से बचा जाना चाहिए।

हमने लेखा परीक्षा में पाया कि 105 उप-शीर्षों के कुल व्यय ₹ 1,575.29 करोड़ में से 24 उप-शीर्षों में 100 प्रतिशत व्यय (₹ 400.38 करोड़, कुल व्यय का 25.42 प्रतिशत) तथा 16 उप-शीर्षों में 60 से 97 प्रतिशत व्यय (₹ 389.23 करोड़, कुल व्यय का 24.71 प्रतिशत) मार्च 2016 में किया गया था (परिशिष्ट 2.12)।

2.7.9 विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 130 प्रावधान करता है कि नियंत्रण एवं संवितरण अधिकारियों को व्यय के नियंत्रण पर आवश्यक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे कि अनियमिततायें यथा दोषपूर्ण या गलत बजट, व्यय पर दोषपूर्ण नियंत्रण तथा व्यय के गलत वर्गीकरण को कम किया जा सके। इसके अलावा, बजट नियमावली का नियम 134 प्रावधान करता है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को विभागीय लेखों का समाशोधन महालेखाकार के बही के साथ मासिक आधार पर करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन हेतु जोर देना चाहिए जिससे की व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचा जा सके।

हमने पाया कि वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,575.29 करोड़ का कुल व्यय प्रधान महालेखाकार की बही से असमाशोधित रह गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि नियंत्रण एवं संवितरण अधिकारी ऊपर वर्णित नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यय का नियंत्रण करने में आवश्यक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में विफल रहे।

2.7.10 कुल बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 65 तथा 133 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट की जाँच यह देखने के लिए करनी चाहिए कि वे सही हैं तथा सभी विवरण एवं स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं, अनुपूरक माँग तथा पुनर्विनियोग वास्तविक खर्च पर आधारित हैं ताकि वृहद आधिक्य या बचत की संभावना नगण्य हो।

हमने पाया कि अनुदान संख्या 48 के अधीन 30 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.13) में, ₹ 402.30 करोड़ के समस्त बजट प्रावधान बिना किसी कारण के अभ्यर्पित किये गये जो बजट बनाने की प्रक्रिया को धूमिल करते हैं।

2.8 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुचित बजट आकलन के कारण वृहद बचत

- वर्ष 2015-16 के दौरान अनुचित बजट आकलन को दर्शाते हुए कुल बजट प्रावधान ₹ 72,474.14 करोड़ के विरुद्ध ₹ 17,524.86 करोड़ (24 प्रतिशत) की अत्यधिक बचत हुई। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के तहत अत्यधिक बचत राज्य में विकास योजनाओं के अनुपालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में कार्यरत 11 विभागों में भी विगत पाँच वर्षों से सतत बचत देखा गया।

सरकारी विभागों में अत्यधिक बचत, विशेष रूप से जहाँ निरंतर बचत की गई, को रोकने के लिए बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया को सशक्त करना चाहिए तथा अनुपूरक अनुदान लेने से परहेज करना चाहिए जो अप्रयुक्त रहते हैं।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015-16 के दौरान आकस्मिकता निधि से 49 अवसरों पर ₹ 164.52 करोड़ अग्रिम के रूप में वैसे व्यय के लिए निकाले गए जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रवृत्ति के। कुछ कार्य जिसके लिये अग्रिम आहरित किये गये थे, “पूँजीगत निवेश को प्रोत्साहन हेतु सहायता अनुदान”, “पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन”, “कार्यालय व्यय” तथा ‘मोटर वाहनों के लिये मरम्मत और ईंधन’ ईत्यादि थे।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय को पूरा करने के लिए ही की जानी चाहिए।

वर्ष 2001-2015 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

- वर्ष 2001-2015 के दौरान की गई अधिक व्यय की राशि ₹ 2,739.12 करोड़ को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत विनियमित करने की आवश्यकता है।

वर्तमान वर्ष के अधिक व्यय के साथ-साथ पूर्व के वर्षों में किए गए अधिक व्यय के विनियमितिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण

- 263 मामलों जहाँ ₹ 50.00 लाख से अधिक एवं शत-प्रतिशत आवंटन का अभ्यर्पण हुआ, में ₹ 3,066.98 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई।

स्कीमों को प्रदत्त निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण उन योजनाओं के अपूर्ण तथा लक्षित लाभों की नाकामयाबी के संकेत हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

- नगर विकास एवं आवास विभाग ने बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिससे विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव रहा जिसके परिणामस्वरूप, विशाल बचत, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता, प्रधान महालेखाकार के बही से लेखे का असमाशोधन तथा रोकड़/सामान के रूप में निधियाँ अवरूद्ध हुईं।

नगर विकास एवं आवास विभाग को बजट अनुवीक्षण प्रणाली को अपनाते हुए बजट नियमावली के प्रावधानों का सर्वथा अनुसरण करना चाहिए।